रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-13102025-266897
CG-UP-E-13102025-266897

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4451] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 8, 2025/आश्विन 16, 1947
No. 4451] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 2025/ASVINA 16, 1947

रेल मंत्रालय

(उत्तर मध्य रेलवे)

अधिसूचना

प्रयागराज, 19 सितम्बर 2025

का.आ. 4579(अ).— केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-20 'ए' के खण्ड-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में **आगरा-पलवल सेक्शन में कि0मी0 1418/08-10 पर समपार संख्या 538 के स्थान पर 02 लेन रोड ओवर ब्रिज के निर्माण** हेतु अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा-20घ की उप-धारा-(1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, **सक्षम प्राधिकारी** अर्थात् **विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी, संयुक्त संगठन, मथुरा उत्तर प्रदेश** को लिखित में किया जायेगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी जाँच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा-20घ की उप-धारा-(2) के अधीन **सक्षम प्राधिकारी** द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में आगरा-पलवल सेक्शन में कि0मी0 1418/08-10 पर समपार संख्या 538 के स्थान पर 02 लेन रोड ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण-

क्रम	तहसील	ग्राम	खसरा सं०	अर्जन के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफत (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
1	छाता	अकबरपुर	576/2	0.1140
2			582 मि०	0.0588
3			587 मि०	0.0960
4			728/1	0.0696
5			731/1	0.0900
6			732 मि०	0.0888
-	-	-	योग	0.5172

[फा. सं.एनसीआर जीएसयू शून्य जीएसयू (जीएसयू)/1/2025/ओ/ओ सीपीएम/जीएसयू/एजीसी (कम्प्यूटर संख्या 132590)]

एनामुल हक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)/सड़क सुरक्षा पिरयोजना

MINISTRY OF RAILWYS

(North Central Railway)

NOTIFICATION

Prayagraj, the 19th September, 2025

S.O. 4579(E).— In exercise of the powers conferred by sub – section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) Railway (amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of **Construction of 02 Lane Road Over Bridge in place of LC No. 538 on 1418/08-10 km. of Agra - Palwal Section in District Mathura** in the state of Uttar Pradesh hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub section (1) of Section 20D of the said ACT.

Every such objection shall be made to the **competent authority** namely, **Special land Acquisition Officer Mathura.** Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds there of and the Competent Authority shall give objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may After hearing all such objections and after making such further enquir if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub – section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available And can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the **competent Authority**.

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired for Construction of 02 Lane Road Over Bridge in place of LC No. 538 on 1418/08-10 km. of Agra - Palwal Section in District Mathura in the State of Uttar Pradesh.

Sl. No.	Tehsil	Name of the village	Plot No.	Area propose for land Acquisition (In Hect.)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Chhata	Akbarpur	576/2	0.1140
2			582 M.	0.0588
3			587 M.	0.0960
4			728/1	0.0696
5			731/1	0.0900
6			732 M.	0.0888
-	-	-	**Total**	**0.5172**

[F..No. NCR-GSU0GSU(GSU)/1/2025-O/o CPM/GSU/AGC (Computer No.132590)]

ANAMUL HAQUE, Chief Administrative Officer (Construction)/Road Safety Projects

अधिसूचना

प्रयागराज, 19 सितम्बर 2025

का.आ. 4580(अ).— केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-20 'ए' के खण्ड-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में **आगरा-पलवल सेक्शन में कि0मी0 1444/17-19 पर समपार संख्या 550 के स्थान पर 02 लेन रोड ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु** अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा-20घ की उप-धारा-(1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, **सक्षम प्राधिकारी** अर्थात् विशेष **भूमि अध्याप्ति अधिकारी**, **संयुक्त संगठन, मथुरा** उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जायेगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी जाॅच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा-20घ की उप-धारा-(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में आगरा-पलवल सेक्शन में कि0मी0 1444/17-19 पर समपार संख्या 550 के स्थान पर 02 लेन रोड ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण-

क्रम	तहसील	ग्राम	खसरा सं०	अर्जन के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफत (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
1	छाता	कोटबन	332 मि०	0.0600
2			944	0.0036
3			947	0.0720
4			1140	0.1071
5			1142	0.0762
6			1177	0.0180
7			1178 मि०	0.1092
8			1193	0.0432
9			1194	0.0138
-	-	-	**योग**	**0.5031**

[फा. सं. एनसीआर जीएसयू शून्य जीएसयू (जीएसयू)/1/2025/ओ/ओ सीपीएम/जीएसयू/एजीसी (कम्प्यूटर संख्या 132590)]

एनामुल हक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)/सड़क सुरक्षा पिरयोजना

NOTIFICATION

Prayagraj, the 19th September, 2025

S.O. 4580(E).— In exercise of the powers conferred by sub – section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) Railway (amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of **Construction of 02 lane Road Over Bridge in place of LC No. 550 on 1444/17-19 km. of Agra – Palwal Section in District Mathura** in the state of Uttar Pradesh hereby declares its intsention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub section (1) of Section 20D of the said ACT.

Every such objection shall be made to the **competent authority** namely, **Special land Acquisition Officer Mathura.** Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds there of and the Competent Authority shall give objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may After hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub – section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available And can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the **competent Authority**.

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired for Construction of 02 lane Road Over Bridge in place of LC No. 550 on 1444/17-19 km. of Agra – Palwal Section in District Mathura in the State of Uttar Pradesh.

Sl. No.	Tehsil	Name of the village	Plot No.	Area propose for land Acquisition (In Hect.)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Chhata	Kotawan	332 M.	0.0600
2			944	0.0036
3			947	0.0720
4			1140	0.1071
5			1142	0.0762
6			1177	0.0180
7			1178 M.	0.1092
8			1193	0.0432
9			1194	0.0138
-	-	-	**Total**	**0.5031**

[F. No. NCR-GSU0GSU(GSU)/1/2025-O/o CPM/GSU/AGC (Computer No.132590)]

ANAMUL HAQUE, Chief Administrative Officer (Construction)/Road Safety Projects

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.10.13 21:34:17 +05'30'